न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 33/2019

हरीश भारद्वाज पुत्र महेश चन्द शर्मा मानव सेवा आश्रम के पास शहर, सवाई माधोपुर राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 30–10–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपखण्ड अधिकारी उनियारा को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर,निम्न सूचना चाही गई थी –

1–भगवान सहाय वैध सरपंच अलीगढ रामपुरा तह0 उनियारा जिला–टोंक के द्वारा चुनाव में भरे गये फार्म की प्रतिलिपि।

2–द्वितीय स्थान पर रहे उम्मीदवार के चुनाव की प्रतिलिपि ।

3–भगवानन सहाय वैध के कार्यकाल में यदि उनके विरूद्व शिकायत की गई है या कार्यवाही हुई है तो सूचना की प्रतिलिपि देवें।

अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपखण्ड अधिकारी उनियारा से अपीलार्थी को सूचना नहीं देने के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने उनके पत्र कमांक 3338 दिनांक 17–10–2019 से अवगत करवाया है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों एंव जिला निर्वाचन अधिकारी टोंक के आदेश कमांक 2685 दिनांक 16–1–2019 के आदेशों की पालना में किसी पंचायत की कोई शिकायत /याचिका विचाराधीन नहीं होने की वजह से उन पंचायतों के रिकार्ड को निस्तारण योग्य मानकर रिकार्ड निस्तारण किया जा चुका है। सरपंच अलीगढ के विरूद्व भी कोई चुनाव याचिका लम्बित नहीं होने की वजह से उक्त पंचायत के रिकार्ड का भी

Scanned by CamScanner

निस्तारण किया जा चुका है इस कारण सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। बिन्दु सं0 3 के सम्बन्ध में भगवान सहाय वैध के कार्यकाल के दौरान उनके विरूद्व कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होना बताया है। आवेदक द्वारा स्वंय ने भी पत्र कमांक 1899 दिनांक 4–9–2019 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा लिखे गये पत्र की प्रति अपील के साथ संलग्न की है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना के सम्बन्ध में जवाब प्राप्त हो गया है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपखण्ड अधिकारी उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(के0के0शर्मा)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.11.22 12:20:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: